न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास -- श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 21/2016

अपीलान्ट

रामदीन उर्फ
विजयकुमार पुत्र
हेमाराम जाति जाट
निवासी चुवाद तहसील
जायल जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 अमरदास पुत्र चिमनदास जाति साद निवासी धोलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर।
2 रामचन्द्र पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी गुगरियाली।
3 रामनिवास पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी तंवरा।
4 सोहनी पत्नी घासीराम जाति जाट निवासी तंवरा।
5 मनीराम पुत्र पुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी तंवरा तहसील जायल जिला नागौर।
6 रामाकिशनदास पुत्र चिमनदास जाति साद निवासी धोलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर (फौत) के कायम मुकाम–
6/1 मदनदास पुत्र रामाकिशन 6/2 शिवदास पुत्र रामाकिशन 6/3 इन्द्रदास पुत्र रामाकिशन जाति साद निवासीगण धोलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर
7 सीताराम पुत्र चिमनदास जाति साद निवासी धोलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर
8 दलादास पुत्र मेघदास जाति साद (फौत) के कायम मुकाम–
8/1 पूर्णदास पुत्र दलारामदास 9 छोटूदास पुत्र मेघदास जाति साद
10 रामपालदास पुत्र मेघदास जाति साद 11 रामेश्वरदास पुत्र मेघदास जाति साद निवासीगण धोलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर।
12 हडमानदास पुत्र रतनदास जाति साद 13 श्रीमति लिछमा बेवा रतनदास जाति साद 14 देवीदास पुत्र जुगलदास जाति साद (फौत) के कायम मुकाम–
14/1 नानूदास पुत्र देवीदास (फौत) के कायम मुकाम
14/1/1 गीगदास पुत्र नानूदास जाति साद निवासी धोलिया तहसील जायल।
15 बोदूदास पुत्र जुगलदास जाति साद (फौत) के कायम मुकाम–
15/1 डालूदास पुत्र बोदूदास जाति साद
16 आदूदास पुत्र जुगलदास जाति साद (फौत) के कायम मुकाम–
16/1 पांचुदेवी पत्नी आदूदास (फौत)
16/2 रतनदास पुत्र आदुदास जाति साद निवासीगण धोलिया तहसील लाडनूं ।
16/3 राजूदेवी पुत्री आदुदास पत्नी भोलूदास जाति साद निवासी बाकलिया तहसील लाडनूं
16/4 पनुदेवी पुत्री आदुदास पत्नी पूर्णादास जाति साद निवासी बाकलिया तहसील लाडनूं
16/5 गंगादेवी पुत्री आदुदास पत्नी भंवरदास जाति साद निवासी कुसुम्बी तहसील लाडनूं
16/6 अमरीदेवी पुत्री आदुदास पत्नी मोतीदास जाति साद निवासी रांतगा तहसील जायल
16/7 सांवतीदेवी पुत्र आदुदास पत्नी लालदास जाति साद निवासी कुसुम्बी तहसील लाडनूं
16/8 चुकीदेवी पुत्री आदुदास पत्नी सोहनदास जाति साद निवासी कुसुम्बी तहसील लाडनूं
17 किशनदास पुत्र सोहनदास जाति साद।
18 भंवरदास पुत्र लिछमणदास जाति साद (फौत) के कायम मुकामान–
18/1 राजूदास पुत्र भंवरदास जाति साद
18/2 द्वारकादास पुत्र भंवरदास जाति साद
19 शंकरदास पुत्र लिछमणदास जाति साद (फौत) के कायम मुकाम–
19/1 पुरखादास पुत्र शंकरदास जाति साद
20 कानदास पुत्र नारायणदास (वाद में वल्दीयत जीवणदास दर्ज है।)
21 मांगदास पुत्र गिरधारीदास जाति साद निवासीगण धोलिया तहसील लाडनूं जिला नागौर।
22 आसाराम पुत्र पूसाराम जाति ब्राह्मण निवासी तंवरा तहसील जायल जिला नागौर (फौत) के कायम मुकाम–
22/1 सत्यनारायण दत्तक पुत्र आसाराम जाति ब्राह्मण निवासी तंवरा तहसील जायल जिला नागौर।
23 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

2018

अपर कलक्टर, नागौर

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल पोटलिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री बीरबल कमेडिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14/1/1 व 19/1 की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 23 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.08.2025

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील जायल के मौजा धानणी के नामान्तरकरण सं. 859 निर्णय दिनांक 04.02.16 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.02.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 01.03.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी व रेस्पोडेंट संख्या 14/1/1 व 19/1 की ओर से श्री बीरबल कमेडिया, अधिवक्ता ने वकालतनामे पेश किये। रेस्पोडेन्ट सं. 23 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 13, 15 से 18 व 20 से 22 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा धानणी के नामान्तरकरण संख्या 859 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 13.09.19 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) जायल के निर्णय दिनांक 18.01.16 की फोटोप्रति तथा मौजा धानणी के नामान्तरकरण की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय का म्यूटेशन जेर अपील कतई गलत, निर्णय के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक कलक्टर जायल के आदेश से म्यूटेशन भरा है एवं उक्त आदेश में लिखा है कि वाद विभाजन के लिए स्वीकार करके उसके बंट में पूरे खेत का 49 बीघा भाग जो छापडा से रोटू जाने वाले मार्ग के दक्षिण में हैं, घोषित किया जाता है, जबकि म्यूटेशन प्रविष्टि पर दर्शित नक्शे में छापडा से रोटू जाने वाले सम्पूर्ण हिस्से पर म्यूटेशन की पुस्त पर नक्शा अंकित कर सम्पूर्ण रास्ते पर तरमीम कर दी, जबकि न्यायालय ने मात्र रास्ते के दक्षिणी हिस्से का ही आदेश दिया था एवं उतरी हिस्सा अन्य खातेदारों के हिस्से में छोडा गया था, जिससे आदेश जेर अपील सहायक जिला कलक्टर जायल के आदेश के विरूद्व भरा जाने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–निर्णय जेर अपील में रेस्पोडेंट संख्या 1 का सम्पूर्ण भूमि में 30 बीघा के लगभग हिस्सा बनता हैं एवं सहायक कलक्टर जायल ने उक्त भूमि में बोदूदास के हिस्से की 14 बीघा भूमि एवं 4 बीघा भूमि मेघदास के भाई गिरधारीदास के लडके मांगीलाल की बताकर उक्त घोषणा की है। जिससे राजस्व रेकर्ड खतौनी में दर्ज खातेदार बोदूदास के हिस्से की भूमि 14 बीघा कम की जानी चाहिए थी एवं इसी प्रकार 4 बीघा मेघदास के हिस्से की भूमि का हिस्सा कम किया जाना चाहिए था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड खतौनी में मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 अमरदास के नाम का इन्द्राज खसरा नम्बर 629/35 रकबा 49 बीघा भूमि का दर्ज कर दिया एवं जिन खातेदारान की भूमि अमरदास के नाम दर्ज की गई हैं, उन खातेदारान के नाम की भूमि को खतौनी में यथावत रख दिया, जिससे सभी राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान का रकबा अनिश्चित हो गया एवं बाकी बची भूमि का विवाद उत्पन्न कर सम्पूर्ण खतौनी को अनिश्चित कर दिया एवं रकबे का खुलासा नहीं रहा, जिससे भी निर्णय जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– सहायक कलक्टर जायल का निर्णय जेर अपील गलत एवं खिलाफ कानून होने से उसकी अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर जायल के निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया गया हैं, लेकिन गलत व गैर कानूनी डिक्री के विपरीत एवं सहायक कलक्टर के आदेश के विपरीत म्यूटेशन जेर अपील भरा गया हैं, जिससे भी म्यूटेशन जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

20/8/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–खसरा नम्बर 35 रकबा 123.16 बीघा में से 30 बीघा भूमि का विक्रय वाद करने से पूर्व जोराराम पुत्र मेघाराम जाट निवासी झाडेली को दिनांक 24.02.1982 को कर दिया एवं उक्त भूमि का जोराराम ने आगे विक्रय आत्मादास व दलादास को कर दिया एवं दलादास व आत्मादास ने उक्त भूमि का विक्रय रामनिवास व सोहनी को कर दिया, जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड खतौनी में खसरा नम्बर 35/1 रकबा 30 बीघा अलग खातेदारी दर्ज हो गई। कानदास पुत्र नारायणदास ने अपना सम्पूर्ण 31 बीघा रामचन्द्र पुत्र हेमाराम को विक्रय कर दिया, जिसका नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी मे दर्ज हो गया। लेकिन पूर्व खातेदार का नाम नहीं हटाया गया, इसी प्रकार रामदीन उर्फ विजयकुमार को छोटूदास, रामेश्वर व रामपाल ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया, फिर भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी में दर्ज है। इस प्रकार शुरू से लेकर अब तक तहसीलदार जायल ने विक्रय की गई भूमि का इन्द्राज खरीदे गये खातेदारों के नाम दर्ज कर दिया, लेकिन बेचानकर्ताओं के नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी में यथावत रख दिये, जिससे सम्पूर्ण म्यूटेशन जेर अपील गलत व गैर कानूनी होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जायल ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा छापडा से रोटू जाने वाले सम्पूर्ण रास्ते पर उसका हिस्सा बता दिया, जबकि बीच के हिस्से पर रास्ते पर रामदीन उर्फ विजयकुमार का मौके पर कब्जा है एवं उतरी हिस्से पर दलादास का कब्जा है, फिर भी मौके पर स्थिति के विपरीत एवं दावे में प्रस्तुत नक्शा व इस्तदुआ व आदेश के विपरीत म्यूटेशन जेर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने भी पक्षों को मौके पर बुलाये बिना ही एकतरफा में ही, बिना मौका देखे निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)– निर्णय जेर अपील पारित करने से पूर्व एवं म्यूटेशन जेर अपील पारित होने से पूर्व रामाकिशन, दलादास, देवीदास, बोदूदारस, भंवरदास, शंकरदास फौत हो चुके हैं एवं उनके वारिसान को पक्षकार भी नहीं बनाया एवं मृत व्यक्तियों की भूमि में बिना सुनवाई के म्यूटेशन जेर अपील कब्जे के विपरीत पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त नामान्तरकरण सहायक कलटर (एसडीओ) जायल के निर्णय दिनांक 18.01.16 की पालना में स्वीकृत किया गया है, जो कि विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। उक्त नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील जायल के मौजा धानणी के नामान्तरकरण सं. 859 निर्णय दिनांक 04.02.16 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के प्रकरण संख्या 32/2000 अमरदास बनाम रामाकिशन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.16 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 859 दिनांक 04.02.16 स्वीकृत किया गया था। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 13.09.2019 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर जायल के प्रकरण संख्या 32/2000 अमरदास बनाम रामाकिशन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.01.16 को अपास्त कर सभी अवश्यक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। अतः उक्त निर्णय के आधार पर पारित डिगरी की पालना में भरा गया नामान्तरकरण 859 दिनांक 04.02.16 का कोई विधिक औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जायल मौजा धानणी के नामान्तरकरण सं. 859 निर्णय दिनांक 04.02.16 को अपास्त किया जाता है।

{6}– निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

20/8/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान